DSC-224

B.A.LL.B. (Hon's) Xth Semester Examination, 2020

Public International Law

Paper - I

[Maximum Marks: 80

- नोट :- प्रत्येक खण्ड से पूछे गये प्रश्नों के अंक समान है। प्रत्येक खण्ड का उत्तर नवीन पृष्ठ से प्रारम्भ करें। समस्त प्रश्नों को अनिवार्यतः हल करें। उत्तर पुस्तिका की संख्या सामान्यतः 16 पृष्ठ से अधिक न हो। विद्यार्थी द्वारा स्वयं की हस्तिलिप में उत्तर लिखना अनिवार्य है। विद्यार्थी उत्तर पुस्तिका का प्रथम पृष्ठ विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.bubhopal.ac.in से प्राप्त करें। (प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सामान्यतः 250 शब्दों से अधिक न हों।)
- Note: All questions from each section carry equal marks. All questions are compulsory and answer limit are approximately 250 words. Start the answer of each section from new page. Maximum limit of pages of answer booklet are approximately 16 pages. Answer should be written by the student in his/her own handwriting mandatory. The first page of answersheet should be download by the student from university website www.bubhopal.ac.in is mandatory.
- 1. आप ''अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विषय'' से क्या समझते हैं ? अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विषय कौन से हैं और क्यों ? विवेचना कीजिये। What do you understand by "Subject of International Law? What are the subjects of International Law and why? Discuss.
- 2. संधियों से आप क्या समझते हैं ? सन्धियों के विभिन्न प्रकार क्या है ? सन्धियाँ कब बाध्यकारी होती हैं ? उदाहरण सहित समझाइये। What do you understand by treaties ? What are the different kinds of treaties ? When treaties become binding? Explain with illustrations.
- 3. संयुक्त राष्ट्रसंघ की सामान्य सभा की संरचना कार्य, शक्तियों एवं मतदान प्रक्रिया की विवेचना कीजिये।

 Discuss the composition, functions, powers and voting procedure of the General Assembly of the united Nations.
- 4. निरस्त्रीकरण की दिशा में संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा किये गये विभिन्न प्रयासों का वर्णन कीजिये। Describe the various efforts made by United Nations organisation.
- 5. राज्यों के अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ो को शान्तिपूर्ण ढंग से निस्तारण के विभिन्न तरीकों की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये। Critically examine the various amicable means of settlement of International disputes between states.